

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन ‘सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता एवं प्रमुख अभियन्ता के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों, वृत्तों एवं खण्डों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

